वित्त विनियम

(विनियम)

दिनांक 28 अगस्त/12 सितम्बर, 1997

संख्या 2/5/94-3एफ०आर० II.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब वित्त नियम जिल्द-I को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब वित्त जिल्द-I (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1997, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब वित्त नियम जिल्द-I में, नियम 19.15 में क्रम संख्या 7 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

3	4
"निदेशक, पुस्तकालय विभाग, हरियाणा।	वर्ष में 500 रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक अलग-अलग मामले में 200 रुपये की सीमा तक की क्षतियां तथा आगे इस शर्त के अधीन रहते हुए कि बट्टे खाते के लिये हानि की राशि भण्डार में उपलब्ध पुस्तकों की कुल लागत के 1 प्रतिशत से अधिक न हो।"

ए० एन० माथुर,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

FINANCE DEPARTMENT

(REGULATION)

The 28th August/12th September, 1997

No. 2/5/94-3 FR II.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 283 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Financial Rules, Volume I, in their application to the State of Haryana namely :—

1. These rules may be called the Punjab Financial Volume I (Haryana First Amendment) Rules, 1997.

2. In the Punjab Financial Rules, Volume I, in rule 19·15, against serial number 7, under columns 3 and 4, the following entries shall be added at the end, namely :—

3	4
"Director, Libraries Department, Haryana	Up to a limit of Rs. 200 in each individual case subject to the maximum of Rs. 500 in a year and further subject to the condition that the amount of loss for write off does not exceed 1% of the total cost of books available in the stock".

A. N. MATHUR,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Finanace Department.